न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 11/2020
रजिस्ट्रेशन नं. : 2020/00026

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
शाखा न्यू लुक स्कुल
बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेसपोण्डेंट्स-

मैसर्स महादेव मिनरल इण्ड्रस्टीज
प्रोपराईटर श्रीमती निर्मला गुर्जर पता–
प्लॉट नं. जी–32, इन्ड्रस्टीज एरिया,
पिपलवा बॉसवाडा (राज.)
निवासी – ग्राम पंचायत निचला
घंटाला, बॉसवाडा (राज.)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 04.08.2020.

सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा न्यू लुक स्कुल बॉसवाडा ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर मैसर्स महादेव मिनरल इण्ड्रस्टीज प्रोपराईटर श्रीमती निर्मला गुर्जर पता– प्लॉट नं. जी–32, इन्ड्रस्टीज एरिया, पिपलवा बॉसवाडा (राज.)निवासी – ग्राम पंचायत निचला घंटाला, बॉसवाडा (राज.) (ऋणी/बंधककर्ता) के खाते दिनांक 16–05–2019 तक कुल बकाया ऋण राशि 1538260 रू. (पंद्रह लाख अडतीस हजार दो सौ साठ रूपया) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में मोरगेज बाय डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड्स के अन्तर्गत प्रतिभूति मैसर्स महादेव मिनरल इण्ड्रस्टीज प्रोपराईटर श्रीमती निर्मला गुर्जर सम्पत्ति जो ग्राम पिपलवा, तहसील व जिला बांसवाड़ा पर स्थित है, माप लगभग 925 वर्ग मीटर है। जिसके उत्तर में रोड, दक्षिण में नाली, पूर्व में प्लॉट नं. जी.33 एवं पश्चिम में प्लॉट नं.जी–31 स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 16–05–2019 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को रुपया केश क्रेडिट रु 359000 एवं टर्म लोन रु. 1992000 ऋण स्वीकृत

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

किया गया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर राशि जमा कराने समय चाहा गया। पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई है। दिनांक 04.08.2020 को पत्रावली वास्ते बहस प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में अप्रार्थी का स्वास्थ खराब होने के कारण ऋण राशि चुकाने हेतु अवसर प्रदान करने निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस बताया गया कि पूर्व में भी कई अवसर प्राप्त होने के बावजुद ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही की गई है। अतः ओर समय दिया जाना उचित नही है।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी को ऋण जमा कराने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके है ओर समय दिया जाना हम उचित नही समझते है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा न्यू लुक स्कुल बॉसवाडा को दिलाने के लिए बैंक को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त किया जावे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.08.06 17:12:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: